

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2022—आश्विन 18, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

क्रमांक 1-1-1-1-15-2022-बाईस-वि-5-स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (घ) में पूर्ण विराम तथा उद्धरण चिन्ह के स्थान पर कालन स्थापित किया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यदि आवश्यक हो तो सीधी भर्ती के लिए उपर्यन्त्रियों के रिक्त पदों को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आधारित परीक्षा द्वारा कोई साक्षात्कार आयोजित किए बिना भरा जा सकेगा।”

No. 1-1-1-1-15-2022-XXII-D-5-Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Development Commissioner Panchayat and Rural Development, Class III (Ministerial and Non Ministerial) Service Recruitment Rules, 1999, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1) in clause (d), for the full stop and inverted coma, the colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that if necessary, the vacant posts of Sub Engineers for direct recruitment may be filled through the Professional Examination Board, through objective type question paper based examination, without conducting an interview.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा निकुंम, अवर सचिव.